राजस्थान आवासन मण्डल

''पंजीकरण योजना वर्ष 2023''
निवाई आवासीय योजना (तृतीय चरण) निवाई टोंक में
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्वतंत्र आवासों हेतु
आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरियता निर्धारण का

कार्यक्रम

RERA REG NO. RAJ/P/2023/2369

1.	ऑनलाईन आवेदन–पत्र उपलब्ध	: 01.03.2023 से 31.03.2023 तक
2.	ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	: 31.03.2023
3.	योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची का प्रकाशन की तिथि एवं स्थान	अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।
4.	अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	
5.	वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान	
6.	वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान	

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता, खण्ड–तेरह, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर 04, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर फोन : 0141–2940952	उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल, जे.एल. एन.मार्ग जवाहर सर्किल, जयपुर फोन : 0141 – 2723844	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन : 0141 – 2741950

विशेष

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाईन भरे जायेगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रूपये 354/– पंजीकृत राशि में सम्मिलित कर सीधे ही अपने बैक के माध्यम से / क्रेडिट /डेबिट कार्ड के मार्फत जमा करवाया जा सकता है या चालान प्रिन्ट कर **ICICI, Girdhar Marg, Malviya Nagar, Jaipur बैंक** के खाता संख्या **777705600247** आई.एफ. एस.सी. कोड **ICIC0006769** से किसी भी बैंक में जमा करवा सकते है ।

ध्यान देने योग्य आवष्यक बिन्दुः

यह सुनिश्चित कर लें कि :–

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही Online आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।

   आवेदन पत्र के साथ Online स्केन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न हैः–

i. आय का प्रमाण पत्र।

ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।

iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।

vi. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा– आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।

v. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।

राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के लिये पंजीकरण हेतु
सामान्य निबंधन एवं शर्तें
''पंजीकरण योजना वर्ष 2023''
(सभी आवेदकों हेतु)
निवाई आवासीय योजना (तृतीय चरण) निवाई टोंक में

योजना की प्रस्तावना :—

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम — 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो। इसी कड़ी में राजस्थान आवासन मण्डल निवाई आवासीय योजना तृतीय चरण निवाई टोंक में सभी आवेदकों हेतु आवासीय योजना प्रारम्भ करने जा रहा है। "स्ववित्त पोषित योजना'' के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है जिसमें अल्प आय वर्ग के 4, मध्यम आय वर्ग—अ के 26, मध्यम आय वर्ग—ब के 24 व उच्च आय वर्ग के 23 आवासों हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक आवेदनकर्ता आवासन मण्डल की website - www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर login कर आवेदन शुल्क राशि कुल रूपये 354/— (पंजीकरण राशि रूपये 300/— + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 354/—) **कर** ऑनलाईन जमा करवा कर आवेदन कर सकता है।

इस आवासीय योजना में 77 आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका –1

आवासों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :–

क्र.सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1.	अल्प आय वर्ग	4	40.20	10.00
2	मध्यम आय वर्ग–अ	26	68.85	17.30
3	मध्यम आय वर्ग–ब	24	121.00	32.50
4	उच्च आय वर्ग	23	143.80	39.60
	कुल	77		

नोट : (i) आवासों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। चूँकि मण्डल आवासों का आवंटन ''बिना लाभ बिना हानि सिद्धांत'' के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विषेषताऐं :–

यह आवासीय योजना जयपुर –टोंक रोड़ पर वनस्थली मोड से 0.5 (आधा) कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :–

1. रेल्वे स्टेशन 1.0 कि.मी.
2. बस स्टैण्ड 2.0 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्ते :–

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों व उपनियमों एवं अनुबंधों के निम्नानुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल में कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक पंजीकरण करवा सकता है। आवेदन–पत्र भरने की तिथि तक व्यस्क भारतीय व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा किसी भी शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है अथवा अन्य से क्रय किया हुआ है, वह इस योजना में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाने के पात्र होंगे।

2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं व्यस्क पुत्र व पुत्री भी पंजीकरण करवा सकता है।

3. (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।(यदि प्राप्त कर लिये हो)

4. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया गया है एवं यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।

6. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा :–

तालिका –2

क्र. सं.	वर्ग		आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग %
				सामान्य (%)	(G-9) दिव्यांग	निराश्रित एवं भूमिहीन (G-11) एकल महिला 10%	
1	G-1	(i)	(अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड/निगम/प्राईवेट सेक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00
		(ii)	(अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षाबल/केन्द्रीय ओधौगिक सुरक्षाबल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/वीरांगनायें (स्थल सेना को प्राथमिकता)	8.50	0.50	1.00	10.00
2	G-2	(i)	सामान्य श्रेणी	33.58	1.98	3.95	39.50
		(ii)	प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चाटर्ड एकाउण्टेन्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	G-3		मण्डल कर्मचारी	0.85	0.05	0.10	1.00
4	G-4		अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00
5	G-5		अनुसूचित जनजाति	10.20	0.60	1.20	12.00
6	G-6		वर्तमान/भूतपूर्व विधायक/सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00
7	G-7		स्वतन्त्रता सैनानी	0.43	0.03	0.05	0.50
8	G-8		अधिस्वीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	G-10		वीरता प्राप्त सैनिक एवं एशियाड/ऑलम्पिक पद प्राप्त खिलाडी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	G-12		परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति	1.70	0.10	0.20	2.00

तालिका –3

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि (आवास की अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत) (रुपये में)	आवेदन शुल्क (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1.	अल्प आय वर्ग	रु. 3.00 से 6.00 लाख तक	1,00,000.00 + 1% GST	Rs 300 + 18% GST	Rs 700 + 18% GST	1,02,180/-
2.	मध्यम आय वर्ग–अ	रु. 6.00 से 12.00 लाख तक	1,73,000.00 + 5% GST	Rs 300 + 18% GST	Rs 1,000 + 18% GST	1,83,184/-
3.	मध्यम आय वर्ग–ब	रु. 12.00 से 18.00 लाख तक	3,25,000.00 + 5% GST	Rs 300 + 18% GST	Rs 1,500 + 18% GST	3,43,374/-
4.	उच्च आय वर्ग	रु. 18.00 लाख से अधिक	3,96,000.00 + 5% GST	Rs 300 + 18% GST	Rs 2,000 + 18% GST	4,18,514/-

नोट – इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग के ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग को तृतीय वरीयता दी जायेगी।

7. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगीः–

(अ) **स्वयं के लिए –**

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।
(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।
(द) विभाग का वेतन प्रमाण पत्र लगाना होगा।

8. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाऐं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताये नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राषि लौटा दी जायेगी।

9. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस अल्प आय वर्ग के लिए राशि रूपये 700/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. व मध्यम आय वर्ग–अ के लिए राशि रूपये 1000/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी., मध्यम आय वर्ग–ब के लिए राशि रूपये 1500/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. व उच्च आय वर्ग के लिए राशि रूपये 2000/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाऐगा।

10. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। परन्तु यदि उपलब्ध आवासों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते है, तो असफल आवेदकों की प्रतिक्षा सूची लॉटरी अनुसार रखी जावेगी एवं मूल सफल आवेदकों में से जब भी कोई आवेदक अपात्र होता है अथवा अपना आवंटन रद्द करवा लेता है, तो ऐसी रिक्तता के विरुद्ध प्रतिक्षा सूची के आंवटियो को वरीयता क्रमानुसार आवंटन का विकल्प दिया जा सकेगा। असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।

11. इस योजना के अन्तर्गत सभी आवासों का निर्माण स्ववित्त पोषित योजना के तहत किया जावेगा। स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों से मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर आरक्षण पत्र जारी करते हुए अनुमानित लागत की निम्नानुसार राशि प्राप्त की जायेगी

तालिका –3

क्र.सं.	आवासों का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1	अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग–अ, मध्यम आय वर्ग–ब व उच्च आय वर्ग	प्रथम किश्त	1 माह	22.5 %
		द्वितीय किश्त	4 माह	22.5 %
		तृतीय किश्त	7 माह	22.5 %
		चतुर्थ किश्त	10 माह	22.5 %

आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

12. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः आवासों का आवंटन आवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में आवासों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।

13. इस योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कार्य ''डिपोजिट कार्य'' की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. आवेदकों को **तालिका–3** के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।

15. **तालिका–3** के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा।

16. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 18 माह बाद के समय का आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

17. **रिफण्ड**

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।

(अ) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही समिति होगी।

18. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख–रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

19. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमुनसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

20. मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

21. आवंटन लॉटरी में आवेदक को आवासों के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् आवासों का निर्माण पूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें आवासों की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में आवास की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा आवास का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

22. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे जिनका आवास के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगेः–

(क) **लीज राशि** : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

(ख) **अन्य खर्चे** :

(i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व निर्माण के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

(ii) अन्य विविध खर्चे जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेगें।

23. मंडल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नही करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

24. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

25. यदि आवेदक शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा

वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

26. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से फिटिंग/फिक्चर्स आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा।

27. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

28. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

29. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप–बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

30. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

31. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता **website - www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क online कुल रूपये 354/– (आवेदन शुल्क राशि रूपये 300/– + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 54/–) जमा करवा कर निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त देय आवेदन शुल्क का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाऐगा।

32. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त वृत तृतीय, जयपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः

आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

33. वित्तीय सुविधायें : आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।

34. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा– आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/ सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

35. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है।

36. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

37. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दुः

i. आवेदक द्वारा राजकीय सेवा/भारतीय सेवा में होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा वेतन स्लिप लगाना अनिवार्य होगा।

ii. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

iii. लॉटरी से जो भी आवास आवंटित होगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कोई दो अथवा अधिक आवंटी पारस्परिक सहमती से आवंटित आवास की अदला–बदली चाहते है तो उसकी सहमती दी जा सकेगी।

iv. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

v. आवास आवंटन/कब्जे के बाद फलेट का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

vi. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

vii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

viii. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** पर अवलोकन की जा सकती है।

<u>सभी आवेदकों के लिए</u>
(वरीयता निर्धारण लॉटरी में सफल होने पर)

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु ....वर्ष, जाति .... निवासी ....एतद्द्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ किः–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा/रहूंगी।
3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/ आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

<u>सत्यापन</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी . ... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ–पत्र
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु.................... जाति .... निवासी .... (अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँः–

1. यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2022–23 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार हैः–

अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रुपये है।

ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोंतों से वार्षिक आय ....रुपये है।

स. यह कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में मेरे परिवार की कुल आमदनी ....रुपये है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जाति .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही सत्य हैं तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

<u>वेतन भोगी आवेदकों के लिए</u>
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में... पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रुपये ....प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी..जिला ....संभाग.............................राज्य ....जाति ....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... जिला .... स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष .... में राज्य सरकार द्वारा ताम्र–पत्र/प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर
जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव
(सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... ने वर्ष .... में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. ....

2. ....

3. ....

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

<u>अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए</u>
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी ग्राम....................................... जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम) .... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

<u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाण पत्र</u>
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. श्री..निवासी.. .... सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए विकलांग सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)

<u>राजस्थान के विधायकों / सांसदों के लिए</u>
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.. क्षेत्र .... विधानसभा क्षेत्र / लोकसभा क्षेत्र / राज्यसभा से विधानसभा / लोकसभा / राज्यसभा के सत्र .... के सदस्य हैं।

हस्ताक्षर
महासचिव / सचिव
लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा
सचिवालय

<u>भूतपूर्व विधायकों / सांसदों के लिए</u>
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.. विधानसभा क्षेत्र / लोकसभा क्षेत्र / राज्यसभा, जिला .... से सत्र .... में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक / सांसद हैं।

हस्ताक्षर
महासचिव / सचिव
लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा
सचिवालय

<u>सभी आवेदकों के लिए</u>
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु.............

.......वर्ष, जाति.............................. निवासी ....

.................................एत्दद्वारा सशपथ बयान करता/करती हूँ किः–

1. यह कि मैने **पंजीकरण योजना–2023–निवाई आवासीय योजना में** ....
   ....
   आय वर्ग आवास आवंटन हेतु आवेदन–पत्र संख्या .... के द्वारा आवेदन किया है।

2. यह कि मेरे द्वारा आवास आवंटन से सम्बन्धित मण्डल नियमों का अध्ययन कर लिया गया है एवं मेरे आवास आवंटन करने के आवेदन मात्र से मुझे आवास प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

3. यह कि उक्त आवेदन–पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात् मण्डल द्वारा समय–समय पर आवास से संबंधित मांग राशि यदि मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाती है तो मण्डल बिना सूचना दिये पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकारी होगा।

4. यह है कि मेरे स्वयं की गलती के कारण मण्डल द्वारा उक्त पंजीकरण/ आवंटन निरस्त किया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

<u>सत्यापन</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी . ... सत्यनिष्ठा सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट /कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

मूल्य : 354/—

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, खण्ड—13, सैक्टर—4, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर

आवेदक/आवेदिका कानवीनतमफोटो राजपत्रित/नोटेरीपब्लिक द्वारा प्रमाणित

निवाई आवासीय योजना (तृतीय चरण) निवाई टोंक में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्वतंत्र आवासों हेतु

आवेदन—पत्र

आवेदनपत्र क्रमांक ....

1	आवेदक /आवेदिका कानाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करे इसमें किसी प्रकार की काटछांट नही करें)	श्री/श्रीमती..
2	पिता/पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नही करें)	श्री...
3	जन्मतिथि	
4	राष्ट्रीयता	
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली पानी/ टेलीफोन बिल/ अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज..
6	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (यू.आई.डी.) नम्बर	....
7	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नही करें)	वेतनिक— ☐ अवैतनिक— ☐
8	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	.... दूरभाषनं. ....मोबाईल नं.. ई—मेल पता..
9	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रू. में) (वित्तीय वर्ष 2021—22) पैननम्बर, (लागू हो तो)	
	(अ) स्वयं की	
	(ब) पत्नी / पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिकआय : (अ+ब+स)	
10	यदि आवेदक पूर्व में पंजीकृत है तो, पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	
	(क) आय वर्ग, जिसमें पंजीकरण हुआ है।	
	(ख) पंजीकरण का वर्ष	
	(ग) वरीयता क्रमांक :	
11	पंजीकरण राशि रू.	
12	बैंक ड्राफ्ट सं. बैंक का नाम	.... दिनांक................................रू........................... ....

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आवेदन—पत्र प्राप्तिरसीद

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, खण्ड—13, सैक्टर—4, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्वतंत्र आवासों हेतु

श्री/श्रीमती...से ....वर्गहेतु ....योजना के अन्तर्गत ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन—पत्र का प्राप्त किया मय बैंक ड्राफ्ट संख्या..............................दिनांक................... बैंक का नाम............................शाखा...................................।

(नोटः उपरोक्त समस्त पूर्तियॉ आवेदक स्वयं करे।)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

13	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा में बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक – रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैंक संलग्न करेंगे।:– आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण)................................... खाता संख्या (सम्पूर्ण).. खाते का प्रकार (बचत/चालू/एन.आर.आई):.. बैंक/शाखा का पता:................................ .... मोबाइल नम्बर..
14	तलिका–2 के अनुसार अपनी श्रेणी (✔) इंगित करे (प्रमाण पत्र संलग्न करे)
	1. सामान्य श्रेणी ( ) 2. अनुसूचित जाति ( ) 3. अनुसूचित जन जाति ( ) 4. अन्य श्रेणी ( )
15	संलग्नक :
	(अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ब) पैननम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (स) पते का प्रमाण–पत्र / मूल निवास प्रमाण–पत्र। (द) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका। (य) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (र) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (ल) श्रेणी विशेष का प्रमाणपत्र (व) अन्य वाछिंत प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।
16	घोषणा :–
	1. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
	2. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंन्धों एवं शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मै उसका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।
	3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मै आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
	4. आवास का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् आवास में होने वाली टूटफूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।
	5. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मै निम्नलिखित व्यक्तियों का अधिमान क्रम मेंनाम निर्देशित करता / करती हूँ:–
	क्र.सं. नाम आयु संबंध
	प्रथम
	द्वितीय
	तृतीय

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान..
दिनांक..

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक ....

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, खण्ड–13, सैक्टर–4, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर

निवाई आवासीय योजना (तृतीय चरण) निवाई टोंक में
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्वतंत्र आवासों हेतु

1.	सेक्टर / कॉलोनी का नाम	:	निवाई आवासीय योजना, निवाई, टोंक
2.	योजना का नाम	:	स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्वतंत्र आवास
3.	आवेदक / आवेदिका का नाम	:	....
4.	आय वर्ग		
5.	पत्र व्यवहार का पता	:	....
6.	बैंक डी.डी. नम्बर, बैंकर चैक व पे– ऑर्डर नम्बर दिनांक	:	....
7.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दो में)	:	रू0 .... रूपये ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक द्वारा भरा जावें

राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र परीक्षण सूची

निवाई आवासीय योजना (तृतीय चरण) निवाई टोंक में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्वतंत्र आवासों हेतु

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु			आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटों यथास्थान चिपकाया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण– स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
12.	क्या वाछिंत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
4. अन्य टिप्पणी...

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

आवेदक द्वारा भरा जावें

राजस्थान आवासन मण्डल

पंजीकरण हेतु परीक्षण सूची

निवाई आवासीय योजना (तृतीय चरण) निवाई टोंक में
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्वतंत्र आवासों हेतु

1.	क्रमांक नं. / लोट नम्बर		
2.	आवेदक पत्र क्रमांक		
3.	आवेदक का नाम		
4.	आवेदक के पिता / पति का नाम		
5.	जन्म तिथि		
6.	आवेदक की पहचान का प्रमाण		
		पेनकार्ड नम्बर	
		पासपोर्ट नम्बर	
		ड्राइविंग लाईसेन्स नम्बर	
		वोटर आईडी कार्ड नम्बर	
7.	स्थाई पत्र व्यवहार का पता		
	दूरभाष नं. व मोबाईल नम्बर		
8.	अस्थाई पत्र व्यवहार का पता		
9.	आय का विवरण		
		स्वयं की आय	
		पत्नी / पति की आय	
		आश्रित की आय	
		कुल आय	
10	आवेदक यदि पूर्व में पंजीकृत है तो उसका विवरण।	पंजीकरण वर्ष	
		श्रेणी व भुगतान पद्धिति	
		वरीयता क्रमांक	
11	श्रेणी	आय वर्ग	
12.	भुगतान पद्धति	स्ववित्त पोषित	
13.	स्थाई बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम, जहॉ पर पंजीकरण राशि असफल होने की स्थिति में वापिस लौटाई जा सके।		
14.	पंजीकरण राशि	रू.	
15.	बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम		
16.	उत्तराधिकारी का नाम व विवरण		

हस्ताक्षर